

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 / 88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक 29 एवं 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 37 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-


1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि

- में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
 16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
 17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
 18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
 19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व में ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
 20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
 21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक को नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें।

चूंकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावे एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।


संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 04/10/19

क्रमांक : शिदिरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावे।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


1 उप निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

11/01/19

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 04.10.19 के तहत 29 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 14.600/- रुपये मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	संबंधित जिला
1	5	4	6	2	3	0
1	सुशील कुमार सुधार बीए 12.04.1988	पुत्र	24.09.2019 कनिष्ठ सहायक	राधेश्याम सुधार स.प्र.अ.	01-09-2019	बीकानेर
2	राजवीर चान्दोरा सी.सी. 01.08.1990	पुत्र	02.08.2018 कनिष्ठ सहायक	चन्दगी राम अध्यापक प्राशि	30-05-2018	बीकानेर
3	निखिल कुमार बीए 29.09.1995	पुत्र	06.03.2019 कनिष्ठ सहायक	बुधराम अध्यापक प्राशि	27-01-2019	भरतपुर
4	रजनीश बलौदा सी.सी. 11.07.1994	पुत्र	22.12.2014 कनिष्ठ सहायक	सुमन देवी अध्यापिका पराज	14-11-2014	सुजानपुर
5	सुमन देवी सी.सी. 05.08.1996	पत्नी	12.05.2017 कनिष्ठ सहायक	राकेश कुमार मीना कनिष्ठ क-2	08-04-2017	जयपुर
6	जगदीश जाट बीए 14.07.1988	पुत्र	24.10.2018 कनिष्ठ सहायक	गोपाल लाल जाट चश्रेक	25-09-2018	जयपुर
7	दिग्विजय सिंह गौर सी.सी. 08.03.2001	पुत्र	08.05.2019 कनिष्ठ सहायक	रचना शेखावत अध्यापिका प्राशि	05-04-2019	जयपुर
8	संदीप कुमार यादव बीए 02.07.1994	पुत्र	22.02.2018 कनिष्ठ सहायक	नर्मसिंह यादव, अध्यापक	18-07-1998	अजमेर
9	मूलसिंह बीए 01.07.1979	पुत्र	19.05.2017 कनिष्ठ सहायक	रूपसिंह स.उ.नि.पु. क-2	30-04-2017	पाली
10	नरेश कुमार रावल सी.सी. 02.09.1987	पुत्र	04.11.2009 कनिष्ठ सहायक	रामू प्रसाद अध्यापक	26-04-1993	जालौर
11	वैभव गोलिया सी.सी. 23.05.2001	पुत्र	12.03.2019 कनिष्ठ सहायक	अंकर लाल गोलिया अध्यापक	22-02-2019	अजमेर
12	अनिरुद्ध चौहान बीए 19.08.1995	पुत्र	26.06.2019 कनिष्ठ सहायक	मगवानसिंह चौहान, अध्यापक	08-06-2019	अजमेर
13	बसंत कुमार बैरवा सी.सी. 18.06.1999	पुत्र	18.11.2015 कनिष्ठ सहायक	महादेव प्रसाद बैरवा अध्यापक	11-10-2015	अजमेर
14	योगेश कुमार खटीक सी.सी. 10.05.1998	पुत्र	06.04.2017 कनिष्ठ सहायक	कमलेश कुमार खटीक प्रबोधक पराज	18-08-2013	भीलवाड़ा
15	कपिल कुमार मेघवाल बीए 08.07.1990	पुत्र	10.06.2017 कनिष्ठ सहायक	बाबूलाल मेघ वरिष्ठ लिपिक	28-04-2017	जोधपुर
16	शिवनारायण सी.सी. 18.08.1997	पुत्र	29.07.2018 कनिष्ठ सहायक	दामाराम धोलिया वरिष्ठ अध्यापक	24-06-2019	जोधपुर
17	सुनिल कुमार मीणा सी.सी. 19.02.1998	पुत्र	21.10.2016 कनिष्ठ सहायक	कन्हैया लाल मीणा अध्यापक प्राशि	08-11-2014	डिंक
18	लोकेश कुमार बैरवा सी.सी. 15.02.1999	पुत्र	19.03.2019 कनिष्ठ सहायक	रामफूल बैरवा अध्यापक प्राशि	20-01-2019	डिंक
19	निलेश सेठी बीकॉम 12.06.1988	पुत्र	24.10.2016 कनिष्ठ सहायक	श्रीमती राकेश जैन अ. पराज	01-08-2016	डिंक


51

3/5

20	अंकुर फौजदार सी.सी. 01.05.1997	पुत्र	20.02.2019 कनिष्ठ सहायक	श्यामवीर सिंह अध्यापक	03-02-2019	भरतपुर
21	नन्द किशोर बीए 15.08.1990	पुत्र	10.01.2019 कनिष्ठ सहायक	नर्वदा चभ्रेक	05-12-2018	भरतपुर
22	अजली कुमारी बीए 10.01.1990	पत्नी	18.11.2017 कनिष्ठ सहायक	शविन्द्र प्रताप चभ्रेक	09-10-2017	भरतपुर
23	संतोष कुमारी मीना बीए 12.07.1994	पत्नी	25.04.2019 कनिष्ठ सहायक	विक्रमसिंह मीना वरिष्ठ अध्यापक	30-03-2019	कैलाली
24	दिव्या कुमारी मीणा बीए 10.07.1992	पत्नी	10.10.2017 कनिष्ठ सहायक	श्याम सुन्दर मीणा कानिष्ठ क-2	08-08-2017	कोटा
25	राजेश मीणा बीए 29.12.1992	पुत्र	16.02.2019 कनिष्ठ सहायक	रामचन्द्र मीणा सहा.प्र.अ.	23-01-2019	कोटा
26	मेहा फौजदार एमए 04.04.1992	पुत्री	30.04.2019 कनिष्ठ सहायक	सरिता फौजदार अध्यापिका	17-04-2019	कोटा
27	मनीष कुमार गर्ग एमए 01.02.1993	पुत्र	16.02.2019 कनिष्ठ सहायक	विजय प्रकाश गर्ग अध्यापक प्राशि	04-01-2019	जयपुर
28	हरान यादव बीए 20.10.1998	पुत्र	06.05.2019 कनिष्ठ सहायक	मणीलाल यादव अध्यापक	14-03-2019	झारखण्ड
29	निमेश चन्द्र पण्ड्या एमकॉम 11.05.1990	पुत्र	03.05.2019 कनिष्ठ सहायक	हरिकृष्ण पण्ड्या वरिष्ठ अध्यापक	02-04-2019	गोरखपुर

नोट :- क्र.सं. 08, 10, 14 एवं 17 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त है।

4/5



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

4/10/19


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 02.11.2019 के तहत 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रुपये मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	संबंधित जिला
1	कविता देवी आठवीं 20.07.1983	पत्नी	25.10.2018 चश्रेक	जयसिंह वरिष्ठ अध्यापक	13-04-2016	झुंझुनू
2	गुलाबी देवी साक्षर 01.07.1989	पत्नी	28.08.2019 चश्रेक	मदन लाल चश्रेक	16-07-2019	सीकर
3	गंगा देवी सैकेण्डरी 22.06.1990	पत्नी	25.03.2019 चश्रेक	रमेश चन्द जांगिड़ अध्यापक पराज	07-01-2019	जयपुर
4	अनिल कुमार आठवीं 03.02.1990	पुत्र	22.08.2019 चश्रेक	सुशीला खत्री अध्यापिका	13-07-2019	जैसलमेर
5	बरजू पहली 27.06.1992	पत्नी	17.05.2017 चश्रेक	बन्नाराम कानि0 क-2	20-03-2017	जैसलमेर
6	दीपक शर्मा सैकेण्डरी 12.11.1998	पुत्र	08.04.2019 चश्रेक	दिनेश कुमार शर्मा जमादार	05-03-2019	भीलवाड़ा
7	समू कँवर साक्षर 01.01.1980	पत्नी	16.05.2018 चश्रेक	नाथूसिंह चश्रेक	05-03-2018	दौड़क
8	पुष्पा पाटीदार साक्षर 01.01.1991	पत्नी	26.11.2018 चश्रेक	महेन्द्र कुमार पाटीदार चश्रेक	26-09-2018	झुंझुनू

नोट :- क्र.सं. 01, के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वाञ्छित शिथिलन प्राप्त है।

5



(निधमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर